उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 08 चैत्र, शक संवत्, 1934
(दिनांक : 28 मार्च, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन), अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखेंगे।

2. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2011 को सदन के पटल पर रखेंगे।

3. प्रमुख सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (2011-2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का अठारहवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का बीसवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

(5) पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2011 का बाईसवां अधिनियम बन गया।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

8. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"क"**)

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

10. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी :-

"यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ख"**)

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

11. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2012-2013 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे।

12. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 28 मार्च, 2012

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।